

सामाजिक सुरक्षा संहिता , 2020

देश में सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा नौ विधानों नामतः कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; सिनेमा कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा संहिता में सरलीकृत और समामेलित किया गया है। इस संहिता के लागू होने से उपर्युक्त 9 अधिनियम निरसित हो जाएंगे। यह संहिता, पहली बार देश में संपूर्ण कार्यबल, असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे कार्यबल, के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करती है।

इस संहिता की एक उल्लेखनीय विशेषता इसका गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था से जुड़े श्रमिकों को भी कवर करने का मजबूत इरादा है। हालांकि अधिकांश विकसित और उभरते हुए देश श्रमिकों की इन श्रेणियों के काम करने के तरीकों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं, भारत ने उन्हें श्रम जगत में लाने और जीवन एवं विकलांगता कवरेज, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, आदि से संबंधित मामलों में उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस संहिता ने भविष्य निधि, कर्मचारी चोट लाभ, आवास, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक लाभ, वृद्धावस्था सहायता और अंतिम संस्कार खर्च जैसी योजनाओं तक असंगठित श्रमिकों की पहुँच का प्रावधान करके उनकी सामाजिक सुरक्षा (गृह-आधारित, स्वरोजगार / स्वयं का खाता, आकस्मिक वेतन श्रमिकों, आदि) को बढ़ाने के लिए भी पहल की है।

इस संहिता के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना श्रमिकों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए की जाएगी। इसकी निगरानी इस उद्देश्य से गठित विभिन्न बोर्डों के साथ सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा की जाएगी। यह संहिता असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि द्वारा अतिरिक्त रूप से वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। नियत कालिक श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी उनके कार्य के कार्यकाल से जुड़ी हुई है और मौसमी श्रमिकों के लिए, किए गए काम के हर मौसम के लिए सात दिनों के वेतन के बराबर होगी। भविष्य निधि कवरेज, जो अब तक अनुसूचित प्रतिष्ठानों तक सीमित थी, को अन्य प्रतिष्ठानों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, उपयुक्त सरकार के लिए किसी भी संगठन / उद्यम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के दायरे में लाने का प्रावधान है, अगर इसके खतरनाक परिचालन की प्रकृति के कारण ऐसा करना आवश्यक होता है। यह संहिता सभी महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ को सार्वभौमिक बनाने के द्वारा महिलाओं को और सशक्त बनाने का प्रयास करती है। यह नियोक्ताओं के लिए मातृत्व कारणों से अनुपस्थिति की निर्धारित अवधि के लिए औसत मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य करता है। इन प्रावधानों से देश में व्यापक पैमाने पर सभी श्रमिकों के सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

संहिता की मुख्य विशेषताएँ:

- संगठित, असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र में नियोजित कर्मचारों पर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार।
- ई.पी.एफ./ई.एस.आई. के अंतर्गत किसी स्थापन को आवर्त करना।

- कैरियर केन्द्र समूहक प्लेटफॉर्म कर्मकार को परिभाषित किया गया है। कर्मचारी की परिभाषा को समग्र रूप में विस्तृत किया गया है।
- असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार, प्लेटफॉर्म कर्मकार, स्वरोजगार कर्मकार के लिये सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना तथा स्वघोषणा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के लिये उपबंध करना।

परिभाषाएँ:

अभिकर्ता: ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसे नियुक्ति किया गया हो या नहीं, जो स्वामी की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने के लिये तात्पर्यित होते हुए स्थापन या उसके भाग के प्रबंध,नियंत्रण या निदेश का काम करे,उसे अभिकर्ता (एजेंट)के रूप में जाना जाएगा।

एग्रीगेटर:

एग्रीगेटर का आशय किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता से जुड़ने के लिए डिजिटल मध्यस्थ या बाजार स्थान से है। इस संहिता की अनुसूची VII के अंतर्गत सूचीबद्ध एग्रीगेटर हैं: 1. राइड शेयरिंग सेवाएं 2. खाद्य और किराना वितरण सेवाएं 3. लॉजिस्टिक सेवाएं 4. माल और/या सेवाओं (बी2बी/बी2सी) की थोक/खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केट प्लेस (मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल दोनों) 5. पेशेवर सेवा प्रदाता 6. हेल्थकेयर 7. यात्रा और आतिथ्य 8. सामग्री और मीडिया सेवाएं और 9. कोई अन्य सामान और सेवा प्रदाता मंच।

कैरियर सेंटर:

कैरियर सेंटर रोजगार कार्यालयों का स्थान लेंगे और इसमें कोई भी कार्यालय (रोजगार कार्यालय, स्थान या पोर्टल सहित) शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा कैरियर सेवाएं (पंजीकरण, संग्रह और सूचना प्रस्तुत करना, या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा, मैन्युअल रूप से, डिजिटल रूप से, वस्तुतः या किसी अन्य माध्यम से) प्रदान करने के लिए निर्धारित तरीके, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, से स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है।

कर्मचारी:

अन्य संहिताओं में कर्मचारी की परिभाषा के साथ-साथ इस संहिता के अध्याय 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन से कम या बराबर वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति कर्मचारी होंगे।

गिग कर्मकार:

जो किसी कार्य के इंतजाम में कार्य करता है या भाग लेता है तथा पारस्परिक नियोजक-कर्मचारी संबंधों से अलग ऐसे क्रिया-कलापों से उपार्जन करता है।

गृह आधारित कर्मकार:

जो किसी नियोजक के लिये अपने गृह में या नियोजक के कार्यस्थल से अलग अपने इच्छित स्थान पर पारिश्रमिक के बदले इस बात पर विचार किये बिना कि नियोजक उसे उपस्कर सामग्री अथवा अन्य इनपुट देता है या नहीं माल एवं सेवाओं के उत्पादन में लगा है।

प्लेटफॉर्म कार्य:

पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य का प्रबंध जिसमें कोई संगठन या व्यक्ति किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिये पहुँच बनाते हैं या सेवाएँ या कोई अन्य क्रिया कलाप कराते हैं।

प्लेटफॉर्म कर्मकार:

वह व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म के कार्य में लगा हो।

स्वनियोजित कर्मकार:

जो नियोजक द्वारा नियोजित नहीं है किंतु मासिक उपार्जन की ऐसी रकम के अधीन असंगठित क्षेत्र में किसी आजीविका में स्वयं को लगाया हुआ है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक कृषिभूमि का धारक है।

असंगठित क्षेत्र:

स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन कोई उद्यम और जो किसी के माल उत्पादन या विक्रय या सेवा प्रदान में लगा हुआ है और जहाँ कर्मकार नियोजित हैं, वहाँ कर्मकार की संख्या 10 से कम हो, असंगठित क्षेत्र के रूप में परिभाषित है।

असंगठित कर्मकार:

असंगठित क्षेत्र में गृह आधारित कर्मकार, स्वनियोजित कर्मकार, मजदूरी पर नियोजित कर्मकार और संगठित क्षेत्र के वे कर्मकार जो औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के अंतर्गत आवर्त नहीं हो और पी.एफ., ई.एस.आई., ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ प्रतिकर के अंतर्गत भी आवर्त न हों।

पंजीयन:

इस संहिता के अंतर्गत आवर्त प्रत्येक स्थापन को केन्द्र सरकार द्वारा विहित रीति से नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:

केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। (धारा-6)

कर्मचारी भविष्य निधि:

केन्द्र सरकार भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा एवं संगठन के प्रधान के रूप में कार्य करेगा। भविष्य निधि योजना में कर्मचारी एवं नियोजक का अंशदान बराबर-बराबर होगा।

राज्य कर्मचारी बीमा (ई.एस.आई.सी.):

केन्द्र सरकार निगम का एक महानिदेशक तथा वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। निगम की निधि का उपयोग चिकित्सकीय उपचार और परिचर्या का उपबंध करने, अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य स्थापनों की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु किया जाएगा, इसी से बीमा न्यायालयों का व्यय चुकाया जाएगा।

- गिग कर्मकारों, प्लेटफॉर्म कर्मकारों, असंगठित कर्मकारों के लिये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड हितकारी योजनाएँ संचालित कर सकेगा।

उपदान (ग्रेच्युटी):

कोई कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् अधिवर्षता पर, सेवा निवृत्ति या पद त्याग पर, किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु अथवा दिव्यांगता पर, नियतकालीन नियोजन की समाप्ति पर उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा। श्रमजीवी पत्रकार के संबंध में यह अवधि 3 वर्ष होगी। यह अवधि पूरी करना उस स्थिति में आवश्यक नहीं जहाँ कर्मचारी के नियोजन का समापन मृत्यु या शारीरिक अक्षमता के कारण हो रहा है।

- नियोजक कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक वर्ष पूरा करने के लिये अथवा 6 माह से अधिक के लिये अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित 15 दिनों की मजदूरी के बराबर उपदान का भुगतान करेगा।
- मौसमी स्थापनों में नियोजित कर्मकार को 7 दिन की मजदूरी की दर से उपदान का भुगतान किया जाएगा।
- कर्मचारी को संदेय उपदान की अधिकतम रकम केन्द्र सरकार के द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
- नियोजक एवं कर्मकार के मध्य किसी अनुबंध के आधार पर यदि कर्मकार अधिक उपदान प्राप्त कर रहा है तो संहिता की व्यवस्था से उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- यदि किसी कर्मचारी ने बलवा और उपद्रवी आचरण किया हो, या ऐसा कोई कार्य जिससे नियोजक की संपत्ति का नुकसान हुआ हो, नैतिक अधमता पूर्ण अपराध किया हो, तो उपदान की धनराशि पूर्णतः या भागतः जब्त की जा सकेगी।

नामनिर्देशन:

प्रत्येक कर्मचारी, जिसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, निर्धारित प्रपत्र पर नामिती का नाम निर्दिष्ट करेगा।

उपदान की धनराशि का अवधारण:

उपदान की धनराशि देय होने पर 30 दिन के अंदर कर्मकार के लिखित आवेदन पर नियोजक भुगतान करेगा। नियोजक द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में कर्मचारी समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकेगा। प्राधिकारी वाद की सुनवाई पर ग्रेच्युटी की धनराशि अवधारित करते हुए नियोजक को भुगतान हेतु निर्देशित करेगा।

- विहित प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होने की दशा में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष 60 दिन की अवधि के भीतर अपील दायर करेगा। कोई भी अपील निहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकार की जाएगी।
- विहित प्राधिकारी नियोजक द्वारा आदेशित धनराशि न जमा करने पर वसूली प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

प्रसूति अवकाश:

कोई भी नियोजक किसी महिला को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सकीय समापन के 6 सप्ताह के दौरान स्थापन में जानते हुए नियोजित नहीं करेगा। (धारा-59)

प्रसूति प्रसुविधा का अधिकार:

- कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसने प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्ववर्ती 12 मासों में 80 दिन से कम कार्य न किया हो। (धारा-60)

- कोई महिला अधिकतम 26 सप्ताह के प्रसूति लाभ की हकदार होगी। किसी महिला की मृत्यु की दशा में प्रसूति लाभ की धनराशि नाम निर्देशित व्यक्ति या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को संदत्त होगी। (धारा-63)

चिकित्सकीय बोनस:

यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व तथा प्रसवोपरान्त देखरेख की निःशुल्क व्यवस्था नहीं की गई है तो नियोजक रु.3500/- चिकित्सकीय बोनस के रूप में प्रदान करेगा।

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की शक्ति:

प्रसूति प्रसुविधा की धनराशि का भुगतान यदि नियोजक द्वारा नहीं किया गया है तो उस महिला कर्मकार के आवेदन पर निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता जाँच कर सकेगा और समाधान हो जाने पर भुगतान का आदेश दे सकेगा।

- निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के आदेश से क्षुब्ध होने की दशा में अपीलीय अधिकारी के समक्ष कोई भी पक्षकार अपील दायर कर सकेगा।
- निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता भुगतान न होने पर वसूली प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

कर्मचारी प्रतिकर:

प्राणान्तक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को 7 दिन के अंदर प्रेषित कर दी जाएगी। (धारा-73)

प्रतिकर के लिये नियोजक का दायित्व:

यदि किसी कर्मचारी की उसके नियोजन के दौरान दुर्घटना, या उपजीविका जन्य रोग द्वारा क्षति कारित होती है तो नियोजक प्रतिकर का देनदार होगा। (धारा-74)

- नियोजक दुर्घटना घटित होने के 30 दिन के अंदर मृतक के आश्रित अथवा कर्मकार को दुर्घटना जन्य दिव्यांगता होने के कारण प्रतिकर का भुगतान करेगा।
- नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के लिये उपचार में वास्तविक व्यय का भुगतान नियोजक करेगा।
- मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि हेतु रु.15000/- का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष दुर्घटना के 2 वर्ष के अंदर वाद दायर किया जा सकता है।
- दावा जहाँ वास्तविक घटना हुई है, मृतक कर्मचारी जहाँ का निवासी रहा हो, उसके आश्रित जहाँ पर रह रहे हों, या नियोजक का जिस स्थान पर पंजीकृत कार्यालय हो, इन स्थानों में से किसी भी एक जगह के अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया जा सकेगा।
- प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करके क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने हेतु नियोजक को निर्देशित कर सकेगा। निर्देशित धनराशि जमा न करने की स्थिति में प्राधिकारी वसूली प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

अपील:

प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेशित धनराशि जमा करते हुए आदेश के 2 माह के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार की सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर:

उपकर का संग्रहण:

- सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजन हेतु निर्माण लागत पर कम से कम 1%, अधिकतम 2% तक जैसा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो उपकर संग्रहित किया जाएगा। (धारा-100)
- नियोजक द्वारा उपकर जमा करने में विलम्ब किये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा विहित दर से ब्याज देय होगा।

उपकर का स्वतः निर्धारण:

- नियोक्ता निर्माण पूरा होने के 60 दिन के भीतर उपकर का स्वतः निर्धारण करते हुए इसका संदान करेगा (धारा-103)
- यदि प्राधिकारी नियोजक द्वारा दाखिल रिटर्न और स्वतः निर्धारण में अंतर पाता है तो समुचित निर्धारण आदेश करेगा।
- नियत अवधि में उपकर की धनराशि जमा न करने की स्थिति में उपकर के बराबर तक दंड अधिरोपित किया जा सकता है।

अपील: नियोजक उपकर निर्धारण आदेश से क्षुब्ध होने पर अपील दायर कर सकेगा।

भवन निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण: इस अधिनियम के तहत कर्मकार, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 60 वर्ष से अधिक न हो, लाभार्थी के रूप में अपना पंजीकरण करा सकेगा। (धारा-106)

असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार एवं प्लेटफॉर्म कर्मकार हेतु सामाजिक सुरक्षा:

- केन्द्र सरकार असंगठित कर्मकारों के लिये जीवन एवं दिव्यांगता समावेशित करने, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था-संरक्षण एवं शिक्षा व अन्य लाभ के संबंध में योजनाएँ बनाएगी। यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः निधित, राज्य सरकार द्वारा निधित, कर्मचारियों से संग्रहित अभिदाय या अन्य स्रोतों से संचालित की जा सकेगी। (धारा-109)
- राज्य सरकार द्वारा भविष्य निधि, नियोजन क्षति, गृह, बालकों की शिक्षा, कौशल बढ़ाने के लिये, वृद्धाश्रम, अंत्येष्टि सहायता संबंधी योजनाएँ बनाई जाएँगी, जिसमें निधि पूर्ण रूप से राज्य सरकार या भागतः राज्य सरकार व केन्द्र सरकार या कर्मचारियों के संग्रहित अभिदान या अन्य स्रोतों से संचालित की जाएगी।
- असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों की सहायता के लिये टोल फ्री कॉल सेंटर या सहायता केंद्र स्थापित किये जाएँगे। (धारा-112)

असंगठित कर्मकार, गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों का पंजीकरण:

- जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, स्वघोषणा के आधार पर पंजीकरण करा सकेगा। (धारा-113)

गिग कर्मकारों, प्लेटफॉर्म कर्मकारों हेतु योजना:

केन्द्र सरकार समय-समय पर जीवन और दिव्यांगता, दुर्घटना, बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुविधा, वृद्धावस्था संरक्षा, क्रेच एवं अन्य लाभ हेतु योजना बना सकेगी। ये योजनाएँ केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित, एग्रीगेटर के अंशदानों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित, सी. एस. आर. के अंतर्गत निधि पोषित अन्य किसी स्रोत से संचालित हो सकेंगी। (धारा-114)

सामाजिक सुरक्षा निधि:

वित्त पोषण के लिये एग्रीगेटर द्वारा दिया जाने वाला अंशदान वार्षिक रिटर्न का 2% से अधिक नहीं, किंतु 1% से कम नहीं होगा, परंतु गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों को देय रकम से 5% से अधिक नहीं होगा। (धारा-141)

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की नियुक्ति: समुचित सरकार नियुक्त करेगी। (धारा-122)

अभिलेख, रिजिस्टर, रिटर्न का रख-रखाव:

नियोजक कर्मचारी द्वारा किये गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्य के घंटे, अवकाश, कर्मचारियों की पहचान, दुर्घटना, प्रतिकर धनराशि, भर्ती किये गए व्यक्ति, उपजीविका का विवरण सरकार द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा एवं वह सभी आवश्यक रिटर्न फाइल करेगा।

अपराध और शास्तियाँ:

संहिता के उल्लंघन के लिये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। अभियोजन के पूर्व निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता नियोजक को अवसर प्रदान करेगा।

अपराधों का उपशमन:

- समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उन अपराधों का, जो मात्र जुर्माने से दंडनीय हों, प्रावधानित अधिकतम जुर्माने के 50% तथा जो जुर्माने और अधिकतम एक वर्ष के कारावास से दंडनीय हों, प्रावधानित अधिकतम जुर्माने के 75% तक का दंड अधिरोपित करते हुए शमन कर सकेगा। (धारा-138)
- कोई कर्मचारी या असंगठित कर्मकार, लाभार्थी के रूप में पंजीयन, योजनाओं के लाभ के लिये, अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार कार्ड का प्रयोग कर सकेगा। (धारा-142)
